भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3363
16 मार्च, 2021 को उत्तरार्थ

विषय: धान की पराली जलाना

3363. **श्री. ब्रजेंद्र सिंह:**

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने धान के तने / फसल अवशेषों को जलाने की प्रथा को रोकने के लिए कोई नीति बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा किसानो को पिछले दो वर्षों के दौरान फसल अवशेषों को जलाने से रोकने के लिए प्रोत्साहन, नई प्रौद्योगिकियां और ढांचागत सहायता प्रदान की है; तथा

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेंद्र सिंह तोमर)

(क) से (घ): पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकारों के वायु प्रदूषण को दूर करने और फसल अवशेषों के प्रबंधन के लिए आवश्यक मशीनरी पर सबसिडी देने के प्रयासों का समर्थन करते हुए, वर्ष 2018-19 से 'पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में स्व-स्थाने फसल अवशेष प्रबंधन हेतु कृषि यंत्रीकरण का संवर्धन' नामक केंद्रीय क्षेत्र की योजना लागू की गई है । इस योजना के तहत किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन मशीनरी की खरीद के लिए मशीनरी की लागत का 50 प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है तथा फसल अवशेष प्रबंधन मशीनरी के कस्टम हायरिंग केंद्रों की स्थापना के लिए किसानो की सहकारी समितियों, किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ), पंजीकृत किसान समितियों और पंचायतों को परियोजना लागत का 80 प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। 2018-19 से 2020-21 की अवधि के दौरान, 30900 से अधिक कस्टम हायरिंग केंद्र स्थापित किए गए हैं और कुल 1.5 लाख से अधिक फसल अवशेष प्रबंधन मशीनों की आपूर्ति इन चार राज्यो के कस्टम हायरिंग केंद्रों और किसानों को व्यक्तिगत तौर पर की गई है।

*****